को पेश हो।

30/7/25 जवाब पेश हुई। प्रार्थी वकील उप० । अनुपस्थित
की तलबी का मौका चाहा गया। मूल दावा
अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है।
अतः प्रा० पत्र 212 PTA को आगे चलाने का
कोई औचित्य नहीं है। प्रा० पत्र 212 इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner